सं.1(11)/2018-समन्वय

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

मंत्रिमंडल के लिए फरवरी, 2025 माह की डीपीई की मासिक उपलब्धियां

*****

1. सीपीएसई और अन्य सरकारी संगठनों में पूंजीगत व्यय:

वर्ष 2024-25 के लिए फरवरी, 2025 के अंत तक चुनिंदा सीपीएसई (जिनका वार्षिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) लगभग 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है) और अन्य सरकारी संगठनों (अर्थात रेलवे बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दामोदर घाटी निगम) की पूंजीगत व्यय की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दिनांक 05.03.2025 को प्रस्तुत की गई। दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक, इन संस्थाओं ने लगभग 7.39 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.87 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का 93.95% है।

2. सीपीएसई का समझौता ज्ञापन:

वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 91 सीपीएसई का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन पूरा हो गया है।

3 **सीपीएसई का संचालन:**

क. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने निम्नलिखित प्रस्तावों पर अपना सहमति भेजी है:-

i. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का दिनांक 21 फरवरी, 2025 को एएलआईएमसीओ में बोर्ड स्तर से नीचे के 80 पदों की बहाली का प्रस्ताव।

ii. भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 21 फरवरी, 2025 को सीमेंट कॉरपोरशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल) में बोर्ड स्तर से नीचे के 04 पदों के लिए के लिए तत्काल आमेलन के नियम से छूट दिए जाने का लिए प्रस्ताव।

ख. वर्ष 2030 तक 10.11 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता और 2047 तक 32 गीगावाट आरई क्षमता स्थापित करने के लिए एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) में निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करने हेतु नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों से एनएलसीआईएल को छूट देने के लिए 24 फरवरी, 2025 को डीपीई ने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं।

ग. डीपीई ने अपने दिनांक 11.02.2025 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा वर्ष 203-24 के लिए सीपीएसई के शीर्ष पदस्थ प्रबंधन की एपीएआर लिखने पर संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें संबंधित सीपीएसई-स्पैरो प्रणाली के अभिगम हेतु सीपीएसई के लिए वीपीएन अंकाउट के सृजन की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है।

4.अंतर-मंत्रालयी बैठकें और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए)/मंत्रिमंडल नोट:

क. फरवरी, 2025 माह के दौरान एक अतंरमंत्रालयी समिति को (आईएमसी) बैठक आयोजित की गई जिसमें भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सीपीएसई को भारत सरकार के अनुमोदन से बंद करने की प्रगति की समीक्षा की गई।

ख. दिनांक 13 फरवरी, 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सीपीएसई, बीआईबीसीओएल के लिए 215.44 करोड रू की एक बारगी सहायता सहित उनके पुनरूद्धार पैकेज पर चर्चा के लिए बैठक हुई।

ग. डीपीई ने वाणिज्य न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2025 की प्रस्तुत करने के लिए विधि कार्य विभाग द्वारा जारी मसौदा मंत्रिमंडल नोट पर टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

5. क्षमता निर्माण:

डीपीई के 79 कर्मचारियों (वाईपी/वाईए सहित) ने दिनांक फरवरी, 2025 तक आई-गॉट पोर्टल पर 2,592 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

6. संपत्ति मुद्रीकरण: -

दूरसंचार विभाग के अंतर्गत बीएसएनएल/एमटीएनएल की भूमि एवं भवन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की समीक्षा के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों के मुख्य समूह (सीजीएएम) की बैठक 06.02.2025 को आयोजित की गई तथा सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक 07.02.2025 को आयोजित की गई।

7. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति:

अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 195 मामले सूचित/दर्ज किए गए। वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर 50 मामलों को खारिज कर दिया गया। 50 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 72 मामले सचिवों की समिति के पास निर्णयाधीन हैं। शेष 23 मामले जांच और अनुमोदन के लिए संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास लंबित हैं।

****